भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 266
मंगलवार, 5 दिसंबर, 2023/ 14 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

बीज सहकारी समिति

†266. डॉ. टी. सुमति (ए)
तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बीज सहकारी समिति में सदस्यता हेतु मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बीज सहकारी समिति के कार्य निष्पादन और प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र मौजूद है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) सहकारिता मंत्रालय ने बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के अधीन भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की स्थापना की है । फसल पैदावार में सुधार और देशज प्राकृतिक बीजों की संरक्षण व संवर्धन हेतु भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत उन्नत बीजों का उत्पादन, प्रापण व वितरण कार्य करेगी । नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में दो प्रकार के सदस्यों का उपबंध है:

(i) **<u>साधारण सदस्य:</u>** भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में साधारण सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित पात्र होंगे:-

(क) कोई बहुराज्य सहकारी समिति या कोई सहकारी समिति;

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC);

(ग) सरकार के स्वामित्व या सरकार द्वारा नियंत्रित कोई अन्य निगम;

(घ) समिति की प्रकृति और कार्यों से संबंधित केंद्रीय पंजीयक द्वारा अनुमत व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों के संगठन ।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) में साधारण सदस्य बनने के लिए कोई एकल व्यक्ति पात्र नहीं होगा ।

साधारण सदस्य सदस्यता के निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार शेयर पूंजी का अभिदान करेंगे:-

(i) **वर्ग- 1:** इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड (IFFCO), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (KRIBHCO), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (NAFED), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड प्रत्येक द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 5,00,000 शेयर खरीदे जाएंगे;

(ii) **वर्ग- 2:** राज्य स्तर की सहकारी समिति, सिवाए उपखंड (i) में उल्लिखित को छोड़कर, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 1,000 शेयर का अभिदान किया जाएगा;

(iii) **वर्ग- 3:** राष्ट्रीय सहकारी समिति, सिवाए उपखंड (i) में उल्लिखित को छोड़कर, और ऐसी बहुराज्य सहकारी समिति जिसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 500 शेयर का अभिदान किया जाएगा;

(iv) **वर्ग- 4:** कोई सहकारी समिति, सिवाए राज्य स्तरीय या प्राथमिक सहकारी समिति को छोड़कर, द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 10 शेयर की खरीद की जाएगी;

(v) **वर्ग- 5**: प्राथमिक स्तर की सहकारी समिति द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 1 शेयर की खरीद की जाएगी; और

(vi) **वर्ग - 6:** खंड 7(1) (d) के अधीन सदस्य बनने के लिए अनुमत किए गए व्यक्तियों का ऐसा वर्ग या वर्गों या व्यक्तियों के संगठन द्वारा 1,000/- रुपए प्रति शेयर अंकित मूल्य के न्यूनतम 2 शेयर खरीदे जाएंगे ।

शेयर मूल्य का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा और अभिदत्त किए गए शेयरों की पूरी राशि प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा ।

(i) **नाममात्र या सह-सदस्य:** अपने व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए समिति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए मात्र) की गैर-वापसी योग्य शुल्क के भुगतान पर किसी अन्य व्यक्ति को नाममात्र सदस्य या सह-सदस्य बना सकती है ।

कंपनी अधिनियम/प्रोड्यूसर कंपनी अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित कोई कंपनी, सिवाए सरकारी कंपनी को छोड़कर, केवल सह-सदस्य या नाममात्र सदस्य बन सकते हैं ।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 27 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से विभिन्न वर्ग की सदस्यता हेतु उन्हें अब तक 8,200 आवेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (ग): जी हां, मान्यवर । भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की उपविधियों के अनुसार समिति की प्रदर्शन और प्रभाव की निगरानी व मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित तंत्र स्थापित हैं:-

i. वार्षिक साधारण बैठक (AGM) के दौरान समिति, संचित और अन्य निधियों की वास्तविक उपयोग की जांच करेगी और समिति की वार्षिक रिपोर्ट एवं सहायक संस्थाओं के लेखाओं की समीक्षा करेगी ।

ii. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 में निहित उपबंधों के अनुसार समिति अपने प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक (AGM) में संपरीक्षक या संपरीक्षकों की नियुक्ति करेगी । प्रत्येक वार्षिक साधारण बैठक में संपरीक्षण द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा ।

iii. केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी भी समय समिति की लेखाओं के विशेष संपरीक्षण निदेशित कर सकती है । रिपोर्ट की प्राप्ति पर केंद्रीय सरकार बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के उपबंधों या अन्य किन्हीं लागू कानून के अनुसार कोई भी आवश्यक कार्रवाई कर सकती है ।

iv. भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) के लेखांकन की संपरीक्षण रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

*****